जवाबदावा पेश नहीं करने से जवाबदावा बन्द किया जाता है। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खातेदार प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी **खसरा नंबर** 411/10 **कुल रकबा** 0.1619 **हैक्टयर** सरहद मौजा निम्बोल जिसकी किस्म बारानी दोयम है, अर्थात कृषि योग्य भूमि है का बिना विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किए एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किए मौके पर छः पक्की दुकानें बनाकर अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा है। पटवारी, पटवार हल्का निम्बोल की मौका फर्द दिनाँक 21.03.2023 से इस तथ्य की भली-भाँति पुष्टि होती हैं। प्रतिवादी/खातेदार द्वारा बावजूद सम्मन/सूचना के न तो उक्त तथ्य का खण्डन किया है एवं न ही अपने पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए है। खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर छः पक्की दुकानें बनाकर अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता हैं, तथा यह खातेदार के खातेदारी अधिकारों का विलोपित करते हुए बेदखल किए जानें का पर्याप्त आधार है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादी तहसीलदार, जैतारण का वाद-पत्र भली-भाँति साबित होता है।

अतः वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवाय चक खाता सरकार दर्ज करना विधि सम्मत् रहेगा।

-: आदेश :-

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। **वादग्रस्त आराजी** सरहद **मौजा- निम्बोल,** पटवार हल्का-निम्बोल, तहसील- **जैतारण, खसरा नम्बर 411/10, रकबा 0.1619 हैक्टेयर, किस्म बारानी दोयम, में से 0.0162 हैक्टेयर भाग जो कि वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट में अंकित है,** से प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जाए। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न पटवारी मौका रिपार्ट में लाल स्याही से अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 30/01/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला-ब्यावर)

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)